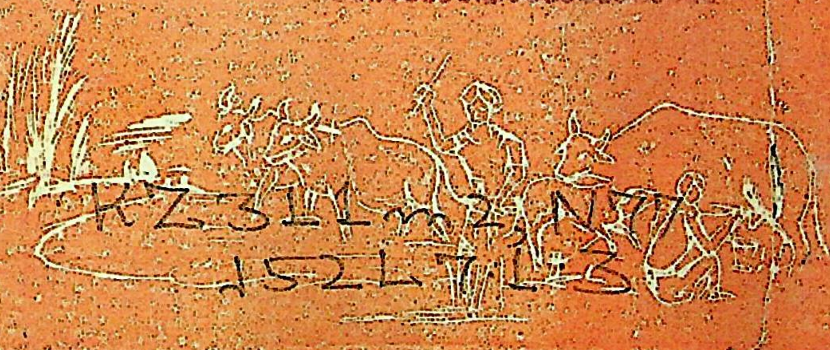
३

गोग्रास



अ. भा. कृषि गोसेवा संघ - गोपुरी - वर्धा.

अनुक्रमणिका

१.	पू. बाबा का कर्ममुक्ति संकल्प	विनोबा	६५
२.	विनोबाजी का संदेश कर्म-मुक्ति के पूर्व	,,	६६
३.	गोग्रास-योजना की रकम का उपयोग	–	६८
४.	सर्वोदय समाज-सेवकों से अपील	रामकृष्ण पाटील	६९
५.	एक [illegible]	[illegible]राज	७०
६.	गाय[illegible]	[illegible]बा	७१
७	[illegible]		७३
८	[illegible]		७६
९	[illegible]		७८
१०	[illegible]		७९
११	[illegible]		८१
१२	[illegible]		८२
१३	[illegible]		८६
१४	[illegible]		९४
१५	[illegible]	[illegible]til	९६

[illegible] महाराष्ट्र

प्रक[illegible] [illegible]पुरी, वर्धा

गाग्रास

वर्ष १ : अंक ३
११ जनवरी, ७७
गोपुरी, वर्धा
वार्षिक शुल्क ५ रु.
प्रति अंक ४० पैसे

पू. बाबा का कर्म-मुक्ति संकल्प

आज के पवित्र दिन बाबा जाहिर करता है कि आज से बाबा किसी संस्था का संरक्षक आदि नहीं रहेगा। और किसी संस्था को सलाह नहीं देगा, चाहे वह बाबा की अपनी स्थापित की हुई संस्थाएं हों– जैसे, मैत्री आश्रम से लेकर वल्लभ-निकेतन तक–या अन्य संस्थाएं हों। जो भी चर्चा वगैरा होगी, वह व्यक्तिगत तौर पर व्यक्ति के साथ होगी।

बाबा के चर्चा के विषय जाहिर हो चुके हैं–विज्ञान और अध्यात्म। विज्ञान तो अब बहुत आगे बढ गया है। इसलिये बाबा ने उसका पीछा छोड दिया है, सिवाय उतना जितना कि शारीरिक आरोग्य से संबंधित है।

दूसरा विषय अध्यात्म, यानी ब्रह्म, माया, जीव इत्यादि पारिभाषिक तत्वज्ञान नहीं। "हृदयग्रंथेर विच्छेदकरं अध्यात्मम्।"

ब्रह्मविद्या मंदिर, पवनार
२५-१२-७६

विनोबाजी का संदेश कर्म-मुक्ति के पूर्व

पू. विनोवाजी ने कर्म-मुक्ति के प्रथम दिन ता. २४ दिसंबर को गोसेवा के लिए निम्न संदेश दिया है।

१. गोहत्याबंदी-संकल्पपूर्ति के लिए एक साल का समय दिया था। ११ सितंबर १९७७ को एक साल पूरा होगा। इस बीच गोसेवा पर पूरी शक्ति केंद्रित की जाय।

२. गोग्रास योजना के लाखों सदस्य बनें, ऐसी अपेक्षा है। उसके लिए सबको काम में लगना चाहिए।

अ – जितनी गोशालाएं, गोसदन या अन्य गोसेवा संबंधी संस्थाएं हैं, उनसे संबंधित सभी सज्जनों को गोग्रास-सदस्य बनना चाहिए।

आ – खादी का काम पचास हजार गांवों में है। उन सब गांवों में गोग्रास-सदस्य होने चाहिये। जिस ग्राम में स्थानिक सदस्य न हो, वहां खादी-संस्था स्वयं सदस्य बनें, ताकि पत्रिका हर गांव में पहुंचती रहे।

इ – गो-प्रेमी एवं गाय की सेवा लेनेवाला हर परिवार सदस्य बनें।

ई – सर्वोदय समाज के सभी सेवक स्वयं गोग्रास-सदस्य बनें एवं घर-घर सदस्य बनावें। ११ सितंबर १९७७ तक का समय और शक्ति गो-सेवा कार्य में केंद्रित की जायेगी तो कोई ठोस परिणाम निकल सकेगा।

उ – बहनों के संगठनों को तथा बहनों को विशेष रूप से गोग्रास-सदस्य बनाने का काम करना चाहिए।

३ गोसंवर्धन की नीति सर्वांगी हो। याने बछडी अच्छी दुधारू निकले व बछडा खेती लायक उत्तम बैल बने। नर-मादा, दोनों उपयोगी पैदा हों।

४ दूध के भावों की नीति इस प्रकार रहे, ताकि गंदूध को

भैंस के दूध से कम भाव न मिले। इस बारे में महाराष्ट्र सरकार की नीति आदर्श मानी जाय।

५. गांवों में ग्राम-सभाएं गठित करके उनके द्वारा गोसदन कायम किये जावें। हर गांव में कृषि-गोसेवा, खादी-ग्रामोद्योग, व्यसन-मुक्ति और अदालत-मुक्ति सबका संमिलित सहयोग लेकर ग्रामों का उत्थान किया जाये।

२४-१२-१९७६

बाबा की
शुभकामना

गोग्रास योजना

पूज्य बाबा के पंचविध कार्यक्रमों में गोग्रास योजना है। इसकी कल्पना है कि हर परिवार प्रतिवर्ष नये साल के आरंभ में गोग्रास के रूप में पाँच पैसे रोजाना मानकर, सालाना रु. १८ (अठारह रुपये) कृषि-गोसेवा संघ को दें।

गोसंवर्धन-गोपालन का विशाल कार्य आगे बढाने के लिए गोग्रास की योजना है। गोग्रास सदस्य-संख्या एक लाख होगी तो संगठन मजबूत बनेगा। इसकी छोटी-सी रकम घर-घर से आने लगेगी तो बहुत बडी हो सकती है। व्यवस्था के कार्यों में इससे बहुत बल मिलेगा। गोग्रास की आमदनी में से आधा खर्च रु. ९ प्रत्यक्ष गाय के दाने-चारे पर होगा। रु. ५ में विचारों के आदान-प्रदान के लिए 'गोग्रास' मासिक पत्रिका चलायी जायेगी, जो योजना के सदस्यों को भेंट भेजी जायेगी। रु. २ प्रदेश व्यवस्था-खर्च के लिये एवं रु. २ केन्द्रीय व्यवस्था के लिये रहेंगे।

अ. भा. कृषि गोसेवा संघ
गोपुरी-वर्धा (महाराष्ट्र)

राधाकृष्ण बजाज
महामंत्री

गोग्रास योजना की रकम का उपयोग

अ० भा० कृषि-गोसेवा संघ की साधारण सभा व कार्यकारिणि, दोनों की संयुक्त बैठक ता. २४ दिसंबर १९७६ को सर्वोदय-संमेलन के अवसर पर ब्रह्मविद्या मंदिर पवनार में हुई। गोग्रास की आय कां केंद्र व प्रदेशों में किस प्रकार वितरण हो, इस वारे में नीचेनुसार महत्त्व के निर्णय लिये गये हैं।

(१) गोग्रास की आय रु. १८ में से रु. ९ की गाय को प्रत्यक्ष खुराक दी जाय। यह रकम प्रदेशों के पास रहे। इसका उपयोग चालू गोसदनों की गायों की खुराक देने में किया जाय।

२) पत्रिका के लिये रु. ५ लगेंगे। वह रकम केंद्रीय कार्यालय, गोपुरी-वर्धा को भेजी जाय। जो प्रदेश स्थानीय भाषा में "गोग्रास" पत्रिका का अनुवाद निकालेगा, वह प्रदेश रु. ५ स्थानीय पत्रिका के लिये रख सकेगा।

३) व्यवस्था-खर्च के लिये रु. ४ रहेंगे। उसमें से आधे २ रुपये प्रदेश शाखा अपने व्यवस्था-खर्च के लिये रखें एवं रु. २ केंद्रीय व्यवस्था-खर्च के लिये प्रधान कार्यालय को वर्धा भेज दें। प्रदेश के रु. २ में से रु. १ जिला-संगठनों को मिले, ऐसी मांग थी। उस पर विचार होकर तय हुआ कि स्थानीय परिस्थिति नुसार प्रदेश स्वयं इसका निर्णय करें।

४) गोग्रास संग्रह का काम प्रधान केंद्र से हो या प्रदेशों से, इस पर विचार होकर तय रहा कि हिसाव, ऑडिट आदि दृष्टि से प्रदेश शाखाओं द्वारा ही गोग्रास-संग्रह का काम करना ठीक रहेगा। रसीद वुकें भी प्रदेश-शाखा छपवावें। गोग्रास की पूरी रकम प्रदेश में जमा हो। उसमें से रु. ५ "गोग्रास" पत्रिका के

सर्वोदय समाज-सेवकों से अपील

पू० बाबा ने कर्म-मुक्ति के पूर्व गोसेवा के लिए जो संदेश दिया, वह साथ है। इस संदेश में पू० बाबा ने सर्वोदय समाज-सेवकों के लिए विशेष संदेश दिया है कि वे ११ सितंबर १९७७ तक अपनी पूरी शक्ति गोसेवा के कार्य में लगावेंगे तो कोई ठोस परिणाम निकल सकेगा।

भारत सरकार ता. ११ सितंबर १९७७ तक पूरे देश में गोवधबंदी कराने का प्रयत्न करेगी। बंगाल, केरल और गोवा में भी कानून करवा कर वह अपना वचन पूरा करेगी। हमें भी पूरी शक्ति लगाकर ता. ११ सितंबर १९७७ तक गोग्रास के एक लाख सदस्य बनाकर हमारा संकल्प पूरा करना चाहिये।

मैं आशा करता हूं कि आप इस कार्य में पूरे उत्साह, शक्ति और लगन से लग जायेंगे।

गोपुरी, वर्धा
१-१-१९७७

रामकृष्ण (आर. के.) पाटील
अध्यक्ष—सर्व सेवा संघ

लिए और रु. २ केंद्रीय व्यवस्था-खर्च के लिए वर्धा भेजे जावें।

प्रदेश में रकमें बैंकों में जमा रखी जाय। उसमें से रकम उठाने का अधिकार प्रदेश व केंद्र, दोनों को मिलकर रहे। प्रदेश में संगठन पक्का न बना हो, तो पक्का संगठन बनने तक वहां का सारा व्यवहार केंद्रीय कार्यालय से होता रहे। ●

एक संत का शुभ संकल्प

वारकरी संप्रदाय के संत श्री सावजी महाराज बहुत बडे कीर्तनकार हैं। इस क्षेत्र में उनका बडा प्रभाव है। हम उम्मीद करें कि अन्य संतसज्जन भी इसी प्रकार सहयोग करेंगे। —संपादक

प्रिय राधाकृष्णजी,

आपने गोसेवा के कार्य के लिए अपने को समर्पित किया, यह परमेश्वर की बहुत बडी कृपा है। भगवान के प्रिय भारत देश में कानून से गोवधबंदी हो गयी, यह बहुत बडा काम हुआ। आपकी गोग्रास की कल्पना पसंद आयी। यह श्री बाबा का या आपके अकेले का काम नहीं। सभी साधु, संत और भगवान के प्रिय जनों को यह कार्य उठाना चाहिए। यद्यपि गोवर्धन पर्वत अकेले श्रीकृष्ण ने उठाया तो भी सब लोगों ने अपनी शक्ति भर उसे टेका लगाने का कर्तव्य किया ही था न? मैं अपने कीर्तन में यह प्रचार करता हूं। वर्धा जिले के लोग गोग्रास-योजना को अपनावें और देश के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करें ऐसी इच्छा है। मैं अपनी शक्ति भर अपने कीर्तनों में सब जगह इस भगवद् कार्य को कर ही रहा हूं। खासकर भविष्य में वर्धा जिले में अपने कार्यक्रमों में लोगों को गोसेवा के लिए प्रवृत्त करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं।

भगवान सबको सद्बुद्धि दे और हमारे प्रिय भारत देश में गोमाता की सेवा घर-घर हो एवं लोग अपने कर्तव्य के प्रति जागृत हो, यह सर्वेश्वर के चरणों में इस दास की विनति है। श्री बाबा और आप सभी इस भगवद् कार्य में सफल हो।

वर्धा, १-१-७७ — आपका ही

पंढरपुर के रास्ते पर — धों. शि. ऊर्फ सावजी महाराज

गायों की हत्या इस्लाम का धर्म नहीं

– विनोबा –

गोरक्षा, गोसेवा आदि के वारे में वावा को खास कुछ कहने का नहीं रहा है। जो कुछ वाकी है, वह करने का रहता है। मैंने सुझाया है कि हर प्रान्त कम-से-कम एकेक जिला लें, जिसमें पूरा रचनात्मक काम किया जाय, जैसे कृषि-गोसेवा, खादी, गामोद्योग, गोवर-गॅस प्लॅन्ट इत्यादि। इसलिए मैंने इन लोगों को वर्धा जिला सुझाया है। पंजाव ने गुरुदासपुर जिला पसंद किया है। तो इस तरह हर प्रान्त में एकेक जिले में काम पूरा हो।

दूसरा, जहां गायों की कतल होती हो, कलकत्ता जैसे अनुष्ठानों में, बेपारियों का पूरा सहयोग लेकर गोसदन खडा करके, कतल बंद करवाना चाहिए। एक बात और। गाय के दूध में वृद्धि हो, इसके लिए कोशिश करनी होगी। वेद में आता है –'सहस्रधारा पयसा महि गो:'। बडी गायें तो हजार-हजार धाराओं से दूध देती हैं। तो मैं सोचता था कि गाय की एक धारा में कम-से-कम २ तोला दूध तो आता ही होगा। २००० तोला यानी ५० रतल दूध हुआ। तो भारत में ५० रतल दूध देनेवाली गायें थीं। उसको महि गौ, यानी वडी गाय कहते थे। तो दूध बढाने की कोशिश करनी चाहिए।

अब इसके आगे क्या कहना है? इस विषय पर यह शायद आखिरी प्रवचन होगा। वावा २५ ता. के वाद सव कर्मों से मुक्त होनेवाला है। आज जो वातें वतायी, वह सवको लागू होती हैं। ता. २५ को और कुछ कहने का भी मौका मिलेगा।

हमने इसको नाम दिया है – 'कतल की रात।' २५ के पहले व. ।. को पूरा चुस लो, फिर बाबा अध्यात्म के अलावा बोलना बंद करनेवाला है।

ऐसा कहा जाता है कि अक्कल बडो कि भैंस ? तो मैं कहूंगा कि क्कल'। लेकिन पूछा जाय कि अक्कल बडी कि गाय ? तो कहूंगा, गाय, क्योंकि उसीके दूध से अक्कल बनती है। बाबा ने दस महीने तक मां का दूध पीया। फिर तब से आज तक गाय का दूध पी रहा है। इसका मतलब यह है कि अक्कल से गाय बडी है। दूध से भी ज्यादा शक्ति तक्र में है। पचनेंद्रिय में तकलीफ नहीं होती। दूध से गैसेस होते हैं। इसलिए एक सूत्र है, 'तक्रं तारकम्'।

ईद के समय कलकत्ते में सप्ताह भर तक सडकों पर गायों का घसीटते ले जाने के दृश्य के संबंध में आया हुआ पत्र पू. बाबा को दिखाया गया, तो उसे पढकर बाबा दुःखी हुए और बोले –

"कुरान-सार" में गाय को बचाना, गाय का दूध पीना इत्यादि है। गोवध की आज्ञा नहीं है। उससे अधिक स्पष्ट "ख्रिस्त धर्म-सार" में है। इसलिए गायों को काटना इस्लाम का धर्म है, यह बात गलत है। अगर इस्लाम में गाय काटना धर्म था तो अकबर अपने राज्य में कैसे गोवधबंदी जाहिर करता ? इसलिए इस्लाम में भगवान को रहमान रहीम, अत्यंत दयालु, कृपालु कहा है। भगवान का ऐसा नाम ले और फिर गाय को काटे, यह कैसे हो सकता है ? मैंने जब यह एक मुसलमान भाई को पूछा तो उसकी आँखों में आँसू आ गये। तो यह गलत बात है। मुसलमानों को इस तरह समझाने का काम करना चाहिए।

(११-१२-७६)



खादी गाय के साथ जुड जाये

— विनोबा —

आप लोगों के दर्शन से बाबा को जो आनंद हुआ, उसका वर्णन करने की शक्ति भाषा में नहीं है। मैंने एक दफा कहा था, भारत का काम पंचशक्ति-सहयोग से होगा। ये जो हमारे सामने बैठे हैं, वे सज्जन-शक्ति के प्रत्यक्ष चिह्न हैं। प्रसिद्ध वाक्य है, **क्षणमिह सज्जनसंगतिरेका, भवति भवार्णव-तरणे नौका**—एक क्षण भी सज्जन-संगति प्राप्त हो जाये तो संसार-समुद्र तैरने के लिए नौका मिल जाती है। और ये जो सज्जन बैठे हैं सामने, वे भारत के सब प्रदेशों से आये हुए हैं। इतना बडा भारत! १५ विकसित और ५०-६० अविकसित भाषाएँ, और दुनियाभर के सब धर्म! यह भारत का जो वैभव है वह बाबा को अद्वितीय मालूम होता है। इसलिए नहीं कि बाबा भारत में जन्मा हुआ है, चाहे वह युरोप में या दूसरे किसी देश में जन्मा होता तो भी भारत का यह जो वैभव है वह उसे मान्य होता। एक बहुत अद्‌भुत वाक्य है संस्कृत में—**दुर्लभं भारते जन्म, मानुषं तत्र दुर्लभम्।** यानी भारत में कुत्ता-बिल्ली का जन्म भी प्राप्त हो तो वह भी दुर्लभ है। इतना गौरव अपने देश का क्यों हुआ? क्योंकि यहां की चप्पा-चप्पा जमीन पर अनेक ऋषि-मुनियों, संतों, आचार्यों के पदरज का स्पर्श हुआ है। हिंदुस्तान की जमीन का एक चप्पा भी बाकी नहीं होगा, जंगल का, गांव का, शहर का जहां किसी-न-किसी संत का पदस्पर्श न हुआ हो। ऐसे महान देश में आप और हम, खादी के काम में लगे हुए लोग यहां इकठ्ठा हुए हैं।

अ-सरकारी असरकारी

आपके काम का कथन मैं देख गया और आप जो दिव्य-

भव्य कार्य कर रहे हैं, उसके लिए मेरे मन में अत्यंत आदर पैदा हुआ। लेकिन इन दिनों एक वाक्य हमेशा मुझे याद आता है, काकासाहब (कालेलकर) ने कहा था, "अ-सरकारी असरकारी।" सरकार के साथ संबंध न रहनेवाला जो भी संघ होगा वह असरकारी होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि हम सरकार की कोई निंदा कर रहे हैं। उन्होंने भी कुछ अच्छे काम किये हैं, कर रहे हैं, करेंगे। फिर भी कहने का तात्पर्य यह है कि स्वतंत्र जन-शक्ति खडी होनी चाहिए। सरकार के साथ सहयोग हम जरूर करेंगे, लेकिन जनता की शक्ति मजबूत होगी, सरकार की गौण होगी, यह मुख्य बात है। यह सध जाये तो बहुत सध जायेगा। एक वाक्य वेद में आता है, **विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन् अनातुरम्** – हमारे इस गांव में परिपुष्ट विश्व का दर्शन होना चाहिए; और इस गांव में कोई बीमार नहीं है, ऐसा होना चाहिए।

खादी गाय के साथ जुड जाये

गांधीजी की जो प्रार्थना चलती थी सुबह की, वह हम यहां नहीं चलाते। यहां पूरा ईशावास्योपनिषद बोलते हैं। उनकी सुबह की प्रार्थना में कई श्लोक आते थे, उसमें एक श्लोक था –

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां
न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः
गो-ब्राह्मणेभ्यः शुभं अस्तु नित्यं
लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु

सब लोग सुखी हो जायें, राज्यकर्ता उत्तम रीति से राज्यपालन करें और गायें और ब्राह्मण दोनों का शुभ हो। बात ऐसी है कि आज गायें भी संकट में पडी हैं और ब्राह्मण भी संकट में पडा है। इसलिए खादी को गाय के साथ जोडना ही पडेगा। खादी आपको कपडा देगी, और खाने के लिए गाय का दूध मिलेगा।

आप लोग जो काम कर रहे हैं खादी का, उसमें व्यापार की बात भी आ गयी है । तो उससे आप मुक्त हो जायें, ऐसी बात बाबा आपको कहेगा नहीं, क्योंकि वह प्रैक्टिकल (व्यावहारिक) नहीं है । इसलिए आपके कार्य में आप मुख्य यह देखिए कि कितने गांव आपने स्वावलंबी बनाये । फिर आपका व्यापार चलता रहे, उसको एकदम से रोकना संभव नहीं । ऐसी सलाह बाबा आपको देगा नहीं, क्योंकि बाबा की अक्ल अभी कायम है ।

आप जानते हैं, बहुत बडे नेता हो गये तमिलनाड में, राजगोपालाचार्य । राज ! गोपाल ! गोपाल के राजा ! और उन्हींके मद्रास में हजारों गायों की कत्ल होती है । गोविंदन्, गोपालन्, इस तरह के नाम केरल में भरे हैं । केरल शंकराचार्य का देश है । इसलिए केरल की भाषा में ८० प्रतिशत संस्कृत शब्द हैं । ऐसे केरल प्रदेश में, कालिकत में गायें खूब कटती हैं । इस तरह सब दूर जो गोहत्या चल रही है, उसको हमें मिटाना ही चाहिए और उस काम में पूरा योगदान खादी-कार्यकर्ताओं का भी रहना चाहिए । मैंने कई दफा कहा है, एकाग्रं च समग्रं च । खादी का काम एकाग्र होकर करें और समग्र दृष्टि से करें । हम खादी का काम करते हैं, तो दूसरे काम की तरफ देखेंगे नहीं, गोसेवा की तरफ देखेंगे नहीं, ऐसा न करें । समग्र दृष्टि से खादी का काम करें । यह हम करेंगे तो भारत की समस्या जल्दी हल हो जायेगी और गाय और ब्राह्मण, दोनों संकट से मुक्त हो जायेंगे । बाबा की इस प्रतिज्ञा में व्यापारी लोग शामिल हो जायें तो सज्जनशक्ति और महाजनशक्ति, दोनों इकट्ठा होंगी इसलिए काम जल्दी होगा ।

अहिंसक संस्कृति का एक ही दर्शन

– विनोबा –

मैंने आपसे कहा था कि आप ऐसे गांव पैदा करिये, जो बाहर का कपडा खरीदते नहीं। खादी, ग्रामोद्योग और गोरक्षा के जरिये पूरा-का-पूरा गांव स्वावलंबी वनें। ऐसे गांव अगर पैदा नहीं कर सकें तो गांधीजी का नाम और काम, दोनों – गुजराती में कहता हूं – "भूंसाई जशे" (मिट जायेगा)। आप लोग कहते हैं, 'आज की परिस्थिति, आज की परिस्थिति, आज की परिस्थिति !' परंतु वेद के कुछ मंत्र बीस हजार साल पहले के हैं, तब से भारत की परंपरा चल रही है। वेद में एक वाक्य आता है, अग्निः पूर्वेभिर् ऋषिभिर् ईड्यो नूतनैरुत।' अग्नि की पूजा प्राचीन ऋषि भी करते थे, इसलिए हमको भी करनी चाहिए। वैदिक ऋषि अपने प्राचीन ऋषियों का आधार देते हैं। यह बीस हजार साल पुराने हैं, तो उनके प्राचीन तो और भी पीछे के हैं। इतनी परंपरा चली है। उसी परंपरा में आप और हम पैदा हुए हैं। इसलिए ऐसे गांव अगर पैदा नहीं कर सकेंगे तो गांधी खतम हो जायेगा। स्वावलंबी गांवों के साथ वह जियेगा। वैसे स्वावलंबी गांव नहीं वनेंगे तो वह खतम होगा। उनका काम भी अगर खतम हो गया तो समाप्तम् ! गांधी-विचार समाप्त होगा, फिर हिंसक संस्कृति आयेगी। **अहिंसक संस्कृति का एक ही दर्शन है– स्वावलंबी ग्राम।**

मैंने वी. रामचंद्रन् से पूछा था कि पूरे खादीधारी गांव भारत में कितने होंगे, तो उन्होंने कहा, एक भी नहीं। अब गुजरातवालों से पूछूंगा, तो वे भी यही जवाब देंगे – एक भी नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ ? गांधीजी का गुजरात कहलाता है। गांधीजी का जन्म गुजरात में हुआ, काम भी उन्होंने

गुजरात में वहुत किया, अनेक आश्रमों की स्थापना की। इतना सारा होते हुए भी गांधीजी के गुजरात में एक भी गांव पूर्ण स्वावलंवी नहीं है, तो हमने क्या किया ?

आजकल हम लोग वहुत निराश हैं। इसलिए आज की स्थिति का मुकावला यह जो वात चित्त में चल रही है, वह वावा के चित्त में जरा भी, एक क्षण भी नहीं है। ऐसे अनेक राजा-महाराजा आये और गये, भारत चल रहा है। गांव में करने का जो काम है, वह है – १. गांव पूर्ण खादीधारी वनें, २. ग्रामोद्योग चलें, ३. वाहर से कुछ खरीदना न पडे, गांव स्वावलंवी हो जाये, ४. अदालत में न जाना पडे, ५. व्यसनमुक्ति, ६. मांसाहारमुक्ति हो। इतना गांव में करना है। उसमें हम लोगों की पूरी शक्ति लगे तो थोडा-सा काम होगा, परंतु जितना होगा वह नमूना होगा। और एक जगह का नमूना दूसरी जगह प्रेरणा देगा। ऐसे गांव स्वयं खुद ही प्रेरणा देनेवाले होंगे। मेरा मुख्य विचार जो आजकल चलता है, वह यह है।

मैंने यह भी कहा था कि ऐसे गांव वनाने में सरकार का एक भी पैसा नहीं लेना चाहिए। यह सरकार के विरोध के लिए नहीं, गांव की प्रतिष्ठा वढे इसलिए है। हम अपनी शक्ति से, अपना गांव खडा कर रहे हैं, ऐसा उनको लगे।

मैंने कई दफा कहा है कि गांव से पैसे में लगान वसूल करते हैं, वह गलत है। गांव में अनाज होता है, तो अनाज में वसूल करना चाहिए। सरकार को कहना चाहिए कि हम आपसे और आप हमसे अनाज लेना-देना चाहें तो हो सकता है, लेकिन पैसा नहीं देंगे, आपको जो करना है सो करिए। यह हो गया सत्याग्रह। जरूरत पडे तो ऐसा सत्याग्रह आप कर सकते हैं।

[गुजरात कें कार्यकर्ताओं के साथ, ५-१२-७६]



खादी-कार्यकर्ताओं से

— विनोबा —

आप लोग जानते हैं कि गांधीजी का जीवन खादी के साथ जुडा हुआ है, इसलिए खादी टिकेगी तभी गांधी-दर्शन टिकेगा। गांधीजी का नाम जीवित रहे न रहे, उसकी गांधीजी को परवाह नहीं थी। नाम का कोई सवाल नहीं है। लेकिन काम उनका जो मुख्य था वह जीवित रहना चाहिए। यह समझना चाहिए कि आपकी सरकार आपके अनुकूल होगी तो आपको कुछ मदद देती होगी, कल दूसरी सत्ता आयेगी तो मदद बंद भी कर सकती है। सत्ताएं आयेंगी, सत्ताएं जायेंगी। इस वास्ते हमारा निर्भर सत्ता पर अधिक न हो। हमारा आधार अपने पांव पर हो। और अपने पांव पर आधार रखते हुए थोडी मदद मिल सकती है वह ले सकते हैं। वह भी धीरे-धीरे छोड सकते हैं कुछ वर्षों में। इस वास्ते खादी टिकेगी तो गरीबों के लिए उत्तम प्राप्ति का साधन होगा। गांव-गांव के लोग स्वाधीन होंगे, यह मुख्य दृष्टि रख कर काम करना होगा। थोडे लोग भी निष्ठापूर्वक काम करें तो दुनिया को मार्गदर्शन मिल सकता है। इसलिए मैंने आप लोगों को सुझाया कि आप एक जिला ले लें और पूरा नमूना एक जिले में खडा करने की कोशिश करें। अगर उतना हम कर सकेंगे तो खादी भी जियेगी, जनता भी जियेगी। हम लोग तो आज नहीं कल मरने-वाले ही हैं, लेकिन वह जो जिले में कार्य होगा वह स्थायी होगा; क्योंकि वह जनशक्ति के आधार पर खडा हुआ है। इसलिए वह टिकेगा और उसका असर दुनिया पर पडेगा। इससे ज्यादा कहने का रहता नहीं। प्रसिद्ध वाक्य है, हिम्मते मर्दां तो मदद दे खुदा। अगर हम हिम्मत रखते हैं तो परमेश्वर मदद करेगा।

(२२-१२-७६)

गौशालाएं लैंड सीलिंग से मुक्त हों

श्रीमन्नारायण (अध्यक्ष, कृषि-गोसेवा संघ)

पूज्य विनोबाजी के गोवध-बन्दी संकल्प के सन्दर्भ में केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री श्री ओम मेहता ने गत ३ सितम्बर को राज्य सभा में घोषणा की थी कि जिन राज्यों में अभी तक कानून से गोवध बन्द नहीं है वहां भी शीघ्र ही कानून बना दिये जायेंगे और इस प्रकार संविधान के ४८ वें अनुच्छेद और उस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार भारत भर में गोवध बन्द हो जायगा। पूज्य बाबा ने चाहा था कि २१ दिसम्बर तक शेष राज्यों में आवश्यक कानून बना दिये जायं। हमें खुशी है कि इसी तिथि के पहले महाराष्ट्र शासन ने अपने विधान सभा के नागपुर-अधिवेशन में सम्पूर्ण प्रदेश में गोवध-बन्दी लागू कर दी। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश द्वारा अपने क्षेत्र में गोहत्या को गैरकानूनी करार दिया है। आसाम शासन ने भी इस दिशा में जरूरी कार्रवाई की है। केरल ने अपने पंचायत के कानून अब म्युनिसिपल क्षेत्रों में भी लागू कर दिये हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार ने गोवध-बन्दी संबंधी अपने वर्तमान कानून को सख्ती से लागू करने का निश्चय जाहिर किया है। हम केन्द्रीय व संबंधित राज्य सरकारों की गोरक्षा के संबंध में २१ दिसम्बर के पहले आवश्यक कार्रवाई करने के लिये धन्यवाद देते हैं।

लेकिन यह स्पष्ट है कि केवल कानून से गोरक्षा का कार्य पूरा नहीं हो सकेगा। उसके लिये कई दिशाओं में सरकार और जनता, दोनों की सम्मिलित शक्ति लगानी होगी। उदाहरण के लिये, निरुपयोगी गायों और बैलों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में

गोसदनों की स्थापना करना निहायत जरूरी है। और फिर गाय के दूध का व्यापक उपयोग किये बिना बेचारी गाय कैसे जिन्दा रहेगी? सरकारी डेरियों में गाय और भैंस का दूध एक ही दाम में खरीदा जाय यह लाजमी है।

देश की गौशालाओं और पिंजरापोलों के सामने एक और बडी कठिनाई है। हमें समाचार मिलते रहते हैं कि विभिन्न प्रदेशों मं गौशालाओं की अधिकांश जमीनें सीलिंग के कानून के अन्तर्गत शासन द्वारा वापिस ली जा रही है। गोसंवर्धन की दृष्टि से यह कार्रवाई बिलकुल अनुचित है। वैसे ही इस समय देश में बहुत-सी गोचर भूमि कृषि के लिये काम मे लायी गयी है, और गायों के लिये चरने की व्यवस्था बहुत अपर्याप्त है। इस दृष्टि से गोशालाओं और पिंजरापोलों की जमीनों को सीलिंग के कानूनों से छूट मिलना बहुत जरूरी है। हां, यदि किसी डेरी के पास गायों की संख्या की अपेक्षा अधिक जमीन हो तो उसे एक अच्छे गोसदन बनाने के लिये इस्तेमाल में लाया जा सकता है। पूज्य विनोबाजी ने भी इस संबंध में अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त की है। उनकी ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्य-मंत्रीजी को जो पत्र भेजा गया है वह इसी अंक में दिया है। हम आशा करते हैं कि राज्य सरकारें इस ओर शीघ्र ध्यान देंगी, ताकि गोसंवर्धन के राष्ट्रीय कार्य में अनावश्यक बाधाएं उपस्थित न हों।

गाय और भैंस के दूध की मूल्य-निर्धारण नीति को भी शीघ्र बदलना चाहिये। महाराष्ट्र शासन गाय और भैंस के दूध के एक ही दाम दे रहा है। हमें उम्मीद है कि अन्य राज्य सरकारें भी महाराष्ट्र सरकार के निर्णय के अनुसार अपनी नीति में अवश्यक परिवर्तन करेंगी।

विनोबाजी की ओर से पत्र

पू. विनोवाजी के सेक्रेटरी श्री. वालविजय ने पू. वावा की सूचनानुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री. तिवारीजी को निम्न पत्र भेजा है। सभी सरकारों के ध्यान देने की बात है कि गौशालाओं को लँड सीलिंग से मुक्त रखा जावे। उनकी जमीनें लेने के वदले वहां गोसदन वढाये जायें। – संपादक

श्री तिवारीजी,

कल श्री. जयदयालजी डालमिया विनोबाजी से मिलने यहां आये थे। मथुरा में एक अच्छी गो-शाला चलती है, उसकी जानकारी भी उन्होंनें दी। विनोवाजी के आवाहन के अनुसार वहां एक गो-सदन भी खडा करने का उनका विचार है। लेकिन उसमें कुछ वाधाएं उपस्थित हुई हैं, जिससे १९३५ से चल रही गो-शाला का आधार ही टूट रहा है। उस संबंध में गो-शाला के मैनेजर ने विनोबाजी को एक लिखित पत्र भी दिया है। वह पत्र विनोबाजी के आदेश के अनुसार आपके पास भेज रहा हूं। गोशाला के मैनेजर स्वयं आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। उनसे भी आपको प्रत्यक्ष जानकारी मिलेगी। विनोवाजी ने आशा व्यक्त की है कि आप मथुरा की गो-शाला के बारे में और गो-सदन वनाने की योजना के वारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। ब्रज-भूमि में आदर्श गो-शाला और गो-सदन खडा करने मं आपकी सहायता मिलेगी, ऐसा विश्वास है।

आप जो निर्णय लेंगे उसकी सूचना विनोवाजी को आप देंगे ही।

सेक्रेटरी, आचार्य विनोवा भावे
पवनार, वर्धा, १०-१२-७६

बालविजय के प्रणाम

खादी-कार्य की सही दिशा : ग्राम-स्वावलंबन

–द्वा. वि. लेले–

७० साल पहले, याने १९०६ में गांधीजी के मानस में "हिंद स्वराज" लिखते वक्त एक तरह से खादी की बात पैठ गयी। लेकिन उस पर अमल वे हिंदुस्थान पहुंचने पर कर सके। सत्याग्रहाश्रम द्वारा उस बारे में प्रयोग हुए और अखिल भारतीय कांग्रेस के मंच से चरखा और खादी की बात भारतीय जनता के सामने आयी। ४–५ साल तक कांग्रेस कमिटियों के द्वारा खादी का काम चला। लेकिन कांग्रेस मुख्यतया 'राजकीय संस्था' होने से तथा खादी 'वस्त्रोद्योग' होने के कारण खादी के विकास के लिए सन् १९२५ में गांधीजी ने अ. भा. चरखा संघ जैसी स्वायत्त संस्था की स्थापना की। संघ स्वायत्त होते हुए भी कांग्रेस का अभिन्न अंग था। इसलिए कांग्रेस आंदोलन के परिणाम खादी पर होते थे और वह स्वाभाविक था। चरखा संघ के समय-समय के युगप्रवर्तक प्रस्ताव यह साबित करते हैं। फिर भी चरखा संघ के द्वारा गरीबों को राहत पहुंचाने का काम ही मुख्यतया होते रहा, यह कबूल करना चाहिए।

खादी के युगान्तर का आदेश

१९४४ में गांधीजी आगाखान जेल से मुक्त हुए। उनकी अंत:प्रेरणा ने मान लिया कि स्वराज जल्द ही आ रहा है और स्वराज मिलने पर गरीबों की परवरिश करने का काम स्वराज-सरकार का स्वाभाविक ही हो जायेगा। इसलिए उनकी कलम से नीचे दिये गंभीर वाक्य निकले :–

"खादी का एक युग पूरा हुआ है। खादी के द्वारा गरीब परवरिश पाते हैं, यह साबित हुआ है। अब खादी के द्वारा गरीब लोग स्वावलंबी हो जाते हैं, खादी अहिंसा का प्रतीक है, यह साबित करना है। यह सही काम अब करना है। हमारी निष्ठा द्वारा इसको प्रतीति बतलानी है।"

खादी का काम विकेंद्रित और देहाती क्षेत्रों में स्वावलंबन की दिशा

में कैसे बढेगा, इसी दिशा में गांधीजी का चिंतन चलता रहा और चरखा संघ के लोगों के साथ इसी विषय पर वे चर्चा करते रहे, लिखते भी रहे।

गांधीजी की उपस्थिति में चरखा संघ ने अपने आगे की कार्य की दिशा स्पष्ट करनेवाले दो प्रस्ताव किये, जो आगे दिये हैं। (३ दिसंबर १९४४ तथा ९ अक्टूबर १९४६) इन प्रस्तावों में जो दिशा बतायी गयी उसके अनुसार कार्य करने का प्रयास खादी के कार्यकर्ता करने लगे थे। लेकिन २०-२२ वर्षों में खादी-कार्य व्यापारिक ढंग से बढाने की दिशा में कार्यकर्ताओं का अभ्यास और चिंतन रहा था। उसकी पटरी बदलकर क्षेत्र-स्वावलंबन की दिशा में खादी-काम कैसे बढाना, इसका प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को नहीं था और इसलिये सारे कार्यकर्ता बडे बेचैन थे।

खादी कमिशन की निर्मिति

१९४७ में भारत आजाद हुआ और ३० जनवरी १९४८ में गांधीजी का बलिदान हो गया! क्षेत्र-स्वावलंबन की दिशा में चरखा संघ का विनोबाजी के मार्गदर्शन में जो चिंतन चला उसका कुछ दर्शन साथ में दिये दो प्रस्तावों (२०-११-५२ तिरुपुर और १०-८-१९५८ चालीसगांव) में होगा।

फिर भी भारत सरकार की दूसरी पंचवार्षिक योजना में बेकारी-निवारण की दिशामें क्या किया जा सकता है, इसका जब चिंतन शुरू हुआ तब ध्यान में आया कि केंद्रित उद्योगों के द्वारा बेकारी-निवारण की योजना बहुत खर्चीली है। यानी २२०० करोड रुपये खर्च करने पर केवल ५२.६ लाख लोगों को ही काम दिया जा सकेगा। तब चरखा संघ का सहयोग प्राप्त करने का भारत सरकार ने पंडित नेहरू के नेतृत्व में निर्णय किया और ४७ करोड रुपये लगने पर आंशिक रोजगारी में २० लाख तथा पूरी रोजगारी में ३६ लाख लोगों को काम दिया जा सकेगा, ऐसा प्लॅनिंग कमिशन के आँकडों से दिखाई दिया।

१९५३ में खादी-ग्रामोद्योग बोर्ड (जो आगे चलकर खादी-ग्रामोद्योग कमिशन बना) की एक स्वायत्त संस्था भारत सरकार ने बनायी, तब से खादी-ग्रामोद्योगों के काम को खूब चालना मिली।

अंबर चरखा

खादी-जगत् में अंबर चरखे के कारण एक नया युग शुरू हुआ। पारंपारिक चरखे की तुलना में अंबर एक यंत्र है, इसलिये उसको मान्यता न दी जाय, ऐसा विचार कुछ प्रमुख गांधी-विचारकों के द्वारा रखा गया। लेकिन विनोबाजी ने उसे 'अंबरावतार' कहकर अंबर चरखे का गौरव किया, क्योंकि पारंपरिक चरखे के सूत की तुलना में अंबर चरखे का सूत निश्चित तौर पर अधिक मजबूत साबित हुआ।

लेकिन अंबर चरखे के द्वारा उत्पादन बढाने के मोह के कारण अंबर चरखा ४ तकुए से १२ तकुए तक बढता गया। पारंपरिक चरखे के सूत की लागत (कम उत्पादन के कारण) अधिक पडती थी और अंबर चरखे के सूत की लागत प्रमाण में काफी कम पडती थी। इसलिये खादी क्षेत्र में सूत के दर तय करते समय पूलिंग का तत्व दाखिल हुआ और औसत गुंडी के दाम जो तय किये गये वे केवल अंबर चरखे की एक गुंडी का लागत से काफी अधिक थे। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि पारंपारिक चरखे का सूत खरीदने की वृत्ति कम होती गयी और अंबर चरखे को ही अधिक बढावा दिया गया। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि पारंपरिक चरखे तेजी से घटते गये।

कॉंग्रेस के बेझवाडा अधिवेशन में (१९२२ में) देश के सामने जो कार्यक्रम रखा था, उसमें अन्य बातों के साथ २० लाख चरखे भारत में चलाने का लक्ष्यांक रखा गया था। खादी-कमिशन के प्रयास के कारण १९६४-६५ तक पारंपरिक चरखों की संख्या १४-१५ लाख तक पहुच गयी थी। लेकिन ६, ८, और १२ तकुओं के अंबर का प्रचलन बढता गया वैसे-वैसे पारंपरिक चरखे की दयनीय स्थिति बनती गयी। आज पारंपरिक चरखों की संख्या मुश्किल से ४-५ लाख तक रह गयी होगी।

मुफ्त बुनाई का उद्देश्य

विनोबाजी ने खादी को ग्राम-स्वावलंबन की दिशा में मोडने के लिये मुफ्त बुनाई की अभिनव कल्पना खादी-कार्यकर्ताओं के सामने रखी। गांववालों

के पास कपास है और खुद कताई करनेके लिये समय है, ऐसी स्थिति में बुनाई मुफ्त हो जाय तो कपास के दाम में कपड़ा मिल सकेगा, यह क्रांतिकारी योजना उनके मन में थी। लेकिन हम लोगों ने कमिशन से मिलनेवाले बिक्री रिबेट के मुकाबले में मुफ्तबुनाई का हिसाब लगाया, यानी केवल रुपयों की तुलना की। उस योजना में जो क्रांतिकारी विचार था उसको अमल में लाने में हमारा पुरुषार्थ नहीं हुआ, यह कबूल करना पड़ेगा। इसी कारण अब मुफ्त बुनाई योजना समाप्त होकर फिर से खादी कमिशन ने बिक्री रिबेट चालू कर दिया।

जिले में ग्राम-स्वावलंबन

पिछले कुछ दिनों से विनोबाजी खादीवालों को बार-बार जोर देकर समझा रहे हैं कि आपका व्यापारिक खादी-काम बंद करो, ऐसी सलाह मैं नहीं दूंगा; लेकिन हर प्रांत में कम-से-कम एक जिले में पूरी ताकत लगाकर वस्त्र के विषय में तथा अन्य ग्रामोद्योग, गो-सेवा आदि ग्रामीण पुनरुत्थान के कार्यक्रमों के जरिये गांवों को स्वावलंबन की दिशा में ले जाने का प्रयास खादीवाले करें। इस प्रयोग में विनोबाजी उनके कर्म-मुक्ति के संकल्प के रहते हुए भी खादीवालों का मार्गदर्शन तथा मदद देने को उत्सुक है। इस संबंध में उनके भाषणों का अंश इसी अंक में अन्यत्र दिया गया हैं। कर्म-मुक्ति के दिन दिये हुए उनके संदेश की ओर भी ध्यान दिया जाय।

विनोबाजी की प्रेरणा और हम खादीवालों का संकल्प मिलकर इस तरह का प्रयोग करने की हिंमत कुछ क्षेत्रों में हम कर पायेंगे तो हमारे सारे रचनात्मक कामों में प्राण-संचार होगा।

चरखा संघ का प्रस्ताव : ३ दिसंबर १९४४
(गांधीजी की अध्यक्षता में)

चरखे की कल्पना की जड़ देहात है और चरखा संघ की पूर्ण कामना-पूर्ति देहातों तक विभक्त होकर देहात की समग्र सेवा करने में है। इस ध्येय को खयाल में रखते हुए चरखा संघ की यह सभा इस निर्णय पर आती है कि संघ की कार्यप्रणाली में निम्नलिखित परिवर्तन किये जायें।

१) जितने सुयोग्य कार्यकर्ता तैयार हों और जिनको संघ पसंद करें, वे देहातों में जायं।

२) बिक्री-भंडार और उत्पत्ति-केन्द्र मर्यादित किये जायं।

३) शिक्षालयों में आवश्यक परिवर्तन तथा परिवर्धन किये जायं तथा नये शिक्षालय खोले जायं।

४) इतना क्षेत्र लें कि जो एक जिले से अधिक नहीं, यदि नयी योजना के अनुसार काम करने के लिए स्वतंत्र और स्वावलंबी होना चाहे और उसे यदि संघ स्वीकार करे तो उतने क्षेत्र में चरखा संघ अपनी ओर से काम न करे और जब तक वहां काम चरखा संघ की नीति के अनुसार चले, उसको मान्यता और नैतिक बल दे।

५) चरखा संघ, ग्रामोद्योग संघ, हिंदुस्तानी तालीमी संघ, गोसेवा संघ और हरिजन सेवक संघ, इन संघों की एक सम्मिलित समिति बनायी जाय, जो समय-समय पर इकट्ठी होकर नयी कार्यप्रणाली के अनुकूल आवश्यक सूचनाएं निकाला करें।

उक्त समिति पर चरखा संघ की ओर से उसके अध्यक्ष, मंत्री और श्री धीरेंद्र मजूमदार तथा अन्य चार संघों में से, प्रत्यक की ओर से पू. गांधीजी को छोडकर अन्य दो-दो सज्जन रहें।

समिति को सूचित किया जाता है कि उसको ऊपर लिखी व्यवस्था के अनुसार होनेवाले सदस्यों के अलावा तीन तक अधिक सदस्य शामिल कर लेने का नियम बनाना उपयुक्त होगा।

दिल्ली प्रस्ताव : ९ अक्तूबर १९४६
(गांधीजी की उपस्थिति में)

अखिल भारत चरखा संघ को अपने अनुभव से विश्वास है कि हिन्दुस्तान में तथा दुनिया के अन्य मुल्कों में, जैसे कि मलाया आदि में अभी जो कपड़े की कमी है, वैसी दशा कहीं भी न हो, ऐसी स्थिति बनाने का साधन चरखा और हाथ-करघा है। एक हिन्दुस्तान ही ऐसा मुल्क है, जहां पुराने जमाने से हाथ-कताई और हाथ-बुनाई से खादी बनती आयी है और आज कपड़े की मिलों की बहुतायत में भी अखिल भारत चरखा संघ की मार्फत शुद्ध खादी पैदा हो रही है। चरखा संघ के करीब २० साल के कार्यकाल में लगभग सात करोड़ रुपया देश की गरीब कत्तिनों और बुनकरों में बांटा गया है।

जो सरकारें ग्रामोद्योग की आर्थिक रचना को महत्त्व देकर खादी-काम करना चाहती हैं, उन्हें नीचे लिखी बातों की व्यवस्था करना निहायत जरूरी है :–

(अ) पांच वर्ष की योजना बनाकर राज्य भर की सब प्राथमिक तथा मिडल तक की पाठशालाओं में और नार्मल स्कूलों में कताई सिखायी जाय; एक महत्त्व की प्रवृत्ति के तौर पर वह चलायी जाय और हरएक पाठशाला के साथ हाथ-सूत बुनने का कम-से-कम एक करघा जरूर चले। शालाओं में बुनियादी तालीम जल्दी-से-जल्दी और अधिक-से-अधिक पैमाने पर शुरू करनी चाहिए।

(आ) बहुधंधी (मल्टीपरपज) सहकारी समितियां स्थापित करके उनके द्वारा ग्राम-सुधार के अंगभूत खादी-काम करना चाहिए।

(इ) जहाँ अभी कपास की खेती नहीं होती वहां कपास पैदा होने की व्यवस्था हो तथा ऐसा प्रबन्ध हो कि कातनेवालों को रुई, कपास तथा सरंजाम सुविधा से मिल सकें।

(ई) खादी-विशारद तैयार करने चाहिए। खादी के बारे में संशोधन का काम करना चाहिए।

(उ) ग्रामोत्थान के काम में कताई का किसी प्रकार सम्बन्ध आयेगा ही, इसलिए सरकार के सहकारी (कोऑपरेटिव) विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि-विभाग तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ग्रामपंचायत आदि के सब कर्मचारियों को खादी-प्रवेश परीक्षा पास कर लेनी चाहिए और यह परीक्षा पास किये विना किसीको इन विभागों में नये सिरे से नौकरी में नहीं लेना चाहिए।

(ऊ) अभी मिल के सूत से हाथ-करघे पर बने कपडे के मूल्य पर नियंत्रण नहीं है, वह होना चाहिए।

(ए) अप्रमाणित खादी का व्यापार, खादी के नाम पर नहीं करने देना चाहिए।

(ऐ) सरकारी टेक्सटाईल विभाग में तथा बुनाई-शाला में केवल हाथ-सूत को स्थान रहे। जेलों में हाथ-कताई और हाथ-सूत की बुनाई चलनी चाहिए।

प्रान्तीय सरकारों तथा देशी रियासतों से प्रार्थना कि जाती है कि ये अन्य बातों के साथ ऊपर लिखी बातें करके खादी व्यापक बनाने की कोशिश करें। इस काम को अंजाम देने के लिए चरखा-संघ और उसकी शाखाएँ भरसक मदद करने को तैयार है।

चरखा-संघ से वार्तालाप होकर सरकार और मिलों द्वारा ऐसा प्रबन्ध हो कि जिस प्रदेश में हाथ-कताई, हाथ-बुनाई से कपडे की जरूरत पूरी हो सके, वहाँ मिल का कपडा व सूत न भेजा जाय। इसके अलावा नयी मिलें खडी न की जाय तथा पुरानी मिलों में कताई-बुनाई के नये साँचे न लाये जाय। मिलों का कारोबार सरकार और चरखा-संघ की सलाह के मुताबिक चलाया जाय। देश में किसी प्रकार का विदेशी सूत और कपडा कतई न आने पाये।

इस काम में सरकार जरूरी कानून पास कर उस पर अमल करें।

मिल-मालिकों से अनुरोध किया जाता है कि करोड़ों के इस काम में मदद करें और प्रजा का साथ द। *

चरखा संघ क्या करें ?

तिरुपुर प्रस्ताव : २० नवम्बर १९५२

(विनोबाजी द्वारा)

देश में पिछले ३० साल से खादी-काम होते आये हैं। उस काम के तरह-तरह के अनुभव भी देश को मिले हैं। उन सबका लाभ उठा कर हमें आगे प्रगति करनी चाहिए। वैसी प्रगति के लिए और आज खादी के मार्ग में जो रुकावटें हैं, उन्हें दूर करने के लिए काफी विचार करके चरखा संघ इस नतीजे पर पहुंचा है कि आज खादी का सारा व्यवहार जो केवल चरखा सघ के कार्यकर्ताओं के जरिए चलाया जाता है, उसमें यह बदल क्रमशः लाना होगा। उसके लिए फिलहाल खादी-काम की मौजूदा पद्धति में नीचे लिखे बदल करने चाहिए।

(१) गांवों में गरजमंद कारीगरों से सूत-खरीदी आदि का जो व्यक्तिगत व्यवहार संघ या संस्थाओं के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है, वह ग्राम-समाज के सामुदायिक रूप में किया जाय।

(२) संघ या संस्था के कार्यकर्ता खुद सूत-खरीदी, लेन-देन और हिसाब में लगे रहते हैं, उसके बदले में वह काम गांव के लोग आपस में करें।

(३) खादी का कार्य आज की देश की मिलों की नीति के कारण बहुत कठिन है। खादी-विचार को पसद करनेवाले भी उस कठिनाई के सामने आसानी से अपना खादी-काम चला सकें ऐसी हालत नहीं है। इसलिए ग्राम-समाज के रूप में खादी-काम चलाने में केवल सामूहिक भावना का प्रचार व शिक्षण से काम हुआ ऐसा नहीं माना जा सकता। उस प्रचार के साथ उन्हें प्रत्यक्ष काम में आधार देना जरूरी होगा। वह आधार तीन तरीके से देना होगा।

(अ) कार्यकर्ता को सहायता, जिसका स्वरूप मार्गदर्शक तथा शिक्षक का रहेगा, मगर व्यवस्थापक और मुनीमगिरी का नहीं रहेगा।

(आ) पूंजी की सहायता : काम करते-करते ग्रामसमाज अपने खादी-काम की पूंजी जमा कर लें तव तक कुछ रूई, सरंजाम, सूत आदि के रूप में उधारी पर स्टॉक और थोडी नकद रकम ग्रामसमिति के कब्जे में रखना।

(अि) खादी वेचने की सहायता : ग्राम-समाज अपने उत्पादन का मुकर्रर हिस्सा गांव में खपायें, उसके वाद वेचनेवाला हिस्सा वेच कर उचित दाम उन्हें मिलें, उसकी चिंता गांववालों को न करनी पडे।

चरखा संघ की यह सभा निर्णय करती है कि ऊपर लिखी हुई नीति की दिशा में संघ का खादी-उत्पत्ति काम चलाने का संघ के कार्यकर्ता प्रयत्न करें। साथ ही देश की खादी-संस्थाओं से भी प्रार्थना करती है कि वे भी नये ग्राम-समाज का दृष्टिकोण सामने रखकर ग्रामों की जनशक्ति व संघटन वढाने के लिए स्थानिक संचालन के तरीके से खादी-उत्पत्ति का काम चलायें।

यह ख्याल में रहे कि जितना संभव हो व उचित लगे अुतनी खादी की स्थानिक खपत भी गांववाले करें, इतना आग्रह रखा जाय और यह मात्रा धीरे-धीरे यहां तक वढायी जाय कि गाव में मिल-कपडा लाने की जरूरत न रहे।

चरखा संघ यह भी चाहता है कि सरकार की ओर से जो खादी-काम चले वह भी अिन दो दृष्टियों को अपनाकर अुसी तरीके से चले, जिससे कि सहकारी पद्धति और ग्राम-भावना का भी विकास हो और अिस तरीके से स्वतंत्र संस्थाअें जो प्रयत्न करें अुसमें रुकावट पैदा न हो। याद रहे कि खादी-खपत की समस्या हल करने में यह पद्धति मदद करेगी और व्यापक परीमाण में खादी का चलन भी ज्यादा स्वाभाविक तरीके से होगा।

सर्व सेवा संघ का प्रस्ताव

चालीसगांव : १० अगस्त १९५८

(विनोबाजी की उपस्थिति में)

(१) खादी-ग्रामोद्योग कार्य को नया मोड

परस्परावलंबन के उद्देश्य को सामने रखकर सारी खादी-ग्रामोद्योग संस्थाओं ने यह संकल्प किया कि–

(१) ग्राम या ग्राम-समूह इकाई मानकर तदनुसार खादी-ग्रामोद्योग का आज का काम मोडने की हमारी नीति हो।

(२) खादी-ग्रामोद्योग का जो भी नया काम भविष्य में शुरू करेंगे, वह ग्राम-इकाई तत्व पर ही शुरू किया जाय।

(३) ऊपर बतायी पद्धति पर खादी-ग्रामोद्योग कार्य को परिवर्तन करने के लिए संस्थाओं को क्या-क्या अडचनें आती हैं और विवरण किस प्रकार किया जा सकता है, इसका अध्ययन करके इलाज सुझाने के लिए एक समिती बनायी जाय।

(४) खादी-ग्रामोद्योग के अलावा जगह-जगह सर्वोदय के आदर्श को मान्य रखकर चलनेवाले अन्य सभी रचनात्मक कार्यों में सहयोग स्थापित करने की दृष्टि से अगले छः महीने में जिले के स्तर तक कार्यकर्ता संमेलन किया जाय और नयी नीति को कार्यान्वित करने के संबंध में विचार किया जाय। कम्युनिटी प्रोजेक्ट, सोशल वेलफेयर बोर्ड, भारत सेवक समाज के प्रतिनिधियों को अतिथि के तौर पर संमेलनों में निमंत्रण दिया जा सकता है।

(५) जिन जिलों में आज रचनात्मक प्रवृत्ति नहीं है, वहां कार्य शुरू करने का प्रयत्न किया जाय और भिन्न-भिन्न रचनात्मक काम करनेवाली संस्थाएं मिलकर नमूने के नये केन्द्र संगठित करने का भी प्रयत्न करें।

(६) आज के काम को ग्राम-इकाई की पद्धति पर मोडने की क्रिया,

ग्रँट और लोन (करोड रु.)

१९७४-७५

	ग्रँट	लोन (कर्ज)	धंधे में लगा लोन मार्च ७५ अंत तक
खादी (सुती, उलन, रेशम)	६.१४	३.८९	६२.४३
ग्रामोद्योग (कुल २२ धंधों में प्रधान)			
१. गोबर गॅस (सबसिडी सहित)	०.३६	०.०३	१.३०
२. लेदर	०.१३	०.३६	२.८१
३. तेलघानी	०.०५	०.९६	८.१८
४. पॉटरी	०.१३	०.४५	३.३७
५. साबुन	०.०५	०.५६	३.२९
६. सीरीयल पल्सेस	०.११	०.२७	३.६०
७. कार्पेंटरी, ब्लेक्स्मिथी	०.०५	०.२८	२.१८
८. दियासलाई	०.०३	०.१८	०.६४
९. फायबर	०.०४	०.१०	०.६८
	०.९५	३.१९	२६.०५
अन्य १३ धंधे	०.५०	०.९६	८.५४
कुल :	१.४५	४.१५	३४.५९

अनुभवी कार्यकर्ता और काबिल कार्यकर्ता ही कर सकेंगे। इसलिए आवश्यक है कि अनुभवी कार्यकर्ताओं को चालू काम से मुक्त किया जाय।

(७) आज के खादी और ग्रामोद्योग के काम को ग्राम-इकाई की दृष्टि से परिवर्तन करने की दृष्टि से तथा सब जगह की जानकारी इकट्ठी करने के लिए एक केंद्रिय समिति की जरूरत होगी, जो खादी-ग्रामोद्योग संस्थाओं के सुझाव के अनुसार और सम्मेलन-प्रक्रिया से बनानी चाहिये। ऐसी समिति बनाने में कुछ समय लगेगा, इसलिए सर्व सेवा संघ की खादी-ग्रामोद्योग समिति ही फिलहाल सहायक समिति के रूप में काम करें। ●

उत्पादन-बिक्री

१९७५

	उत्पत्ति (करोड)	कामगार (लाखों में)		बिक्री (करोड)
		पूरा समय	आंशिक	
खादी-उत्पत्ति (उलन, रेशम, सुती)	४३.२८	१.१०	८.६८	४२.२८
ग्रामोद्योग				
१. दालें	१३.२३	०.१०	०.०९	७.४९
२. तेल	३७.४८	०.२२	०.११	३८.८१
३. गुड, खांडसारी	३५.४६	—	१.११	३५.६०
४. पामगुड	८.७४	—	३.३१	९.६२
५. पॉटरी	६.३८	०.३२	०.१८	६.८६
६. लेदर	९.२२	०.१८	०.१८	१०.७४
७ फायबर	४.७७	०.४३	०.२१	५.२०
८. गोबर गॅस	३.३६	—	—	—
९ साबुन	४.५४	०.०१	०.९९	४.७३
	१२३.१८	१.२६	६.१८	११९.०८
अन्य १३ धंधे	१३.१३	०.३१	२.०७	१४.०९
कुल :	१३६.३१	१.५७	८.२५	१३३.१७

खादी-क्षेत्र में विशेष प्रयोग करनेवाली संस्थाएं

(१) अंबर चरखा :
डबा-कताई (प्रयोग समिति, अहमदाबाद)

(२) अंबर ऊन- कताई (प्रयोग समिति, अहमदाबाद)

(३) गुंडी पाई
खादी-ग्रामोद्योग ट्रेनिंग तथा अनुसंधान (खादी विद्यालय, त्र्यंबक विद्या-मंदिर)

(४) रेशम झट-कताई (" ")

खादी-ग्रामोद्योग कमिशन, इरला रोड, बंबई-५६

फोन-५७१३२३ से २९

(१) श्री ए. एम. थॉमस (अध्यक्ष)
बी – ७ 'रश्मि'
नॉर्थ साऊथ रोड नं. १
बंबई-५८
फोन – ५६२७१७

(२) श्री वाल्मीकि चौधरी (सदस्य)
१५८, नॉर्थ एवेन्यु
नयी दिल्ली-१
फोन – ५३६१०

(३) श्री जगपत दुबे (सदस्य)
८ कानपुर रोड
इलाहाबाद- १ (उत्तर प्रदेश)
फोन – ४८८७

(४) श्री नरेंद्र दुबे (सदस्य)
४६ पळशीकर कॉलनी,
इंदौर – ४ (मध्य प्रदेश)

खादी-ग्रामोद्योग प्रमाण-पत्र समिति

(१) श्री धर्मप्रकाश गुप्ता (अध्यक्ष), २४ बी.एन.रोड, लालबाग, लखनऊ, फोन – २५५४१

खादी-ग्रामोद्योग प्रयोग समिति

(१) श्री ना. रा. सोवनी, अहमदाबाद-१२ फोन ८६३५२

भारतीय खादी-ग्रामोद्योग संघ

['दर्पण,' भगतसिंग रोड, विलेपार्ले, बंबई-५६ फोन-५७३९८६]

(१) श्री विचित्र नारायण शर्मा (अध्यक्ष)
३ ला प्लेस,
लखनऊ
फोन – २२५१६

(२) श्री द्वा. त्रि. लेले (उपाध्यक्ष)
मगनवाडी
वर्धा (महाराष्ट्र)
फोन – २१३५

(३) श्री वी. रामचंद्रन् (मंत्री)
५२-५३ कालीदास स्ट्रीट,
रामनगर,
कोइम्बतूर ९ (तमिलनाडु)
फोन – २५३३६

(४) श्री रतिभाई गोंधिया (मंत्री)
सौराष्ट्र रचनात्मक समिति,
राजकोट (गुजरात)
घर-फोन २४८३२
ऑफिस-फोन २४५२६

(५) श्री सोमदत्त विद्यालंकार (मंत्री) खादी आश्रम,
पानीपत (हरियाणा) फोन – २४८१

प्रमुख खादी-संस्था तथा संचालक

(१) श्री सोमदत्त वेदालंकार
खादी आश्रम,
पानीपत (हरियाणा)

(२) श्री छीतरमल गोयल
खादी सघ,
चौमू (राजस्थान)

(३) श्री विचित्र नारायण शर्मा
श्री गांधी आश्रम,
मेरठ (उत्तर प्रदेश)

(४) श्री रतिभाई गोंधिया
सौराष्ट्र रचनात्मक समिति,
राजकोट (गुजरात)

(५) श्री वी. रामचंद्रन्
तमिलनाडु सर्वोदय संघ,
गांधीनगर,
तिरुपुर (तमिलनाडु)

(६) संस्थापक–श्री रामेश्वर अग्रवाल
राजस्थान खादी-संस्था संघ
वजाजनगर,
जयपुर (राजस्थान)

(७) श्री व्ही. टी. मागडी
कर्नाटक खादी संस्था संघ,
वेनगिरी
हुबली-२३ (कर्नाटक)

(८) श्री डी. वी. पांगरेकर
भाग्यनगर खादी समिति,
सुलतान बाजार, हैदराबाद (आंध्र)

(९) श्री ध्वजाप्रसाद साहू
विहार खादी-ग्रामोद्योग संघ
सर्वोदयनगर, मुजफ्फरपुर (विहार)

(१०) श्री पुरुषोत्तम कानजी
मुंबई खादी-ग्रामोद्योग संघ
खादी-ग्रामोद्योग भवन,
२८१ दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-१

(११) श्री के. अरुणाचलम्
खादी-ग्रामोद्योग भवन
१९० माऊंट रोड, मद्रास-२

(१२) श्री नंदकुमार चौधरी
चंद्रकांत ललित मोहन शहा
रेशम खादो समिति
बेहरामपुर (मुर्शीदाबाद)

(१३) श्री देवीदत्त पंत
खादी-ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान
रानी बाजार
बीकानेर (राजस्थान)

(१४) श्री उदयचंदजी
पंजाब खादी-ग्रामोद्योग संघ
आदमपुर दोआबा
जिला – जलंधर (पंजाब)

THE LAW BANNING COW SLAUGHTER IN THE STATE OF MAHARASHTRA

The Maharashtra Legislature has passed a law prohibiting the slaughter of cows and for the preservation of other animals suitable for milk, breeding, draught or agriculture purposes.

Under sec. 5, the slaughter of cow is completely banned through out the whole state. A cow includes male and female calves of cows, and they are also similarly protected.

Under sec. 6, no scheduled animal can be slaughtered unless a certificate is obtained from a competent authority.

Under sec. 4, the competent authority can include non-officials. The scheduled animals include bulls, bullocks, female buffalos and buffalo calves. No certificate can be granted if the scheduled animal is or is likely to become economical, if a male, for the purposes of draught, or other agricultural operations or for breeding and if a female for purposes of giving milk or bearing offspring. Thus all useful animals are completely protected from slaughter.

Under sec. 15, the powers of the state Government relating to a competent authority can be given to any local authority, and the power to grant certificates to any officer of the State Government.

R. K. Patil

गोसेवा का पंचविध कार्यक्रम

1. **मासिक प्रार्थना सभा** : हर माह की तारीख 11 की शाम को सारे भारत में सर्वत्र प्रार्थना सभाऍं होकर गोसेवा के विचारों का प्रचार हो।

2. **गोदुग्ध प्रसार** : अपने अपने घरों में गाय का दूध अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के लिये सामूहिक संकल्प किया जाय।

3. **कृषि-गोपालन अभिन्न** : गाय को जमीन से और जमीन को गाय से अलग न किया जाय। हर किसान के पास गाय रहे और हर गोपालक के पास जमीन हो।

4. **गांव-गांव में गोसदन** : हरेक गांव में ग्राम-सभा हो, हर ग्राम-सभा गोसदन चलावे और गोबरगॅस प्लांट खड़ा करे। और सरकार उसे आवश्यक सहायता दे।

5. **गोग्रास** : हर परिवार प्रतिवर्ष नये साल के प्रथम दिन गोग्रास के रूप में, प्रतिदिन 5 पैसे मानकर, सालाना 18/रु.(अठारह) कृषि-गोसेवा संघ, गोपुरी, वर्धा को भेजें एवं केंद्र को सक्षम बनावें।

[illegible]

हैदराबाद प्रदर्शनी में सहयोग दीजिये

हैदराबाद (आन्ध्र) में प्रतिवर्षानुसार शीघ्र ही विशाल औद्योगिक प्रदर्शनी होने जा रही है। इस वर्ष वहां गांधी-दर्शन मंडप में गोसेवा तथा गोग्रास योजना से संबंधित जानकारी भी प्रदर्शित की जायेगी। निवेदन है कि इस कार्य की दृष्टि से किसीके पास प्रदर्शनीय सामग्री हो तो वह शीघ्र भेजने की कृपा करें। संपर्क पता:—

श्री. बिरधीचंद चौधरी,
१-२-३ डोमलगुडा,
हैदराबाद-५०००२९
(आन्ध्र प्रदेश)

बुक-पोस्ट

Printed Book

प्रेषक :

'गोग्रास' मासिक पत्रिका,
गोपुरी, वर्धा (महाराष्ट्र) ४४२००१